न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

चौथुराम बनाम बीरबल वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं.- 254/10
29/9/21	वकील वादी उपस्थित। वकील ने संशोधित शीर्षक वाद पत्र व वकील पत्र कायम मुकामी वादी संख्या-6 को पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया जाकर वास्ते अग्रिम कार्यवाही पत्रावली दिनांक 20-10-2021 को पेश हो। PO साहब मीटिंग में पधारे हुये है। (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
20.10.2021 चौथुराम (चौथुराम पुत्र ... वादी सं.1) ... (... वादी सं. 6/1) ... सामोता ... (... वादी सं. 6/3) ... फूलचन्द सामोता ... (... प्रतिवादी सं. 2) ... (... प्रतिवादी सं. 4) ... (... प्रति. सं. 1/1)	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत- कल्याणपुरा में पेश हुई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मय पक्षकार उपस्थित। वादी संख्या 6 के वारिसान् 6/1 से 6/3 की ओर से श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने वकालतनामा पेश किया। उपस्थित वादी संख्या 1, 4 व 6/3 की पहचान वादीगण वकील द्वारा एंव उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1/1, 2 व 4 की पहचान श्री झाबर सिंह भारणी एड0 के द्वारा की गई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण एंव पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण एंव पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) 20/10/21 उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः-कल्याणपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
254/2010	2010/112	02.11.2010	20.10.2021

उनवान

1. चौथमल पुत्र स्व0 भूराराम उम्र– 55 साल
2. श्रीमती पारा देवी पत्नि स्व0 गुल्लाराम उम्र– 70 साल
3. महेन्द्र पुत्र सुरजाराम उम्र–42 साल
4. सुभाष पुत्र मुरलीधर उम्र–35 साल
5. श्योनारायण पुत्र मुरलीधर उम्र– 32 साल
6. लेखचन्द पुत्र बोदूराम – मृत्तक
   6/1 जमना देवी पत्नी स्व0 लेखचन्द
   6/2 गोकुल पुत्र स्व0 लेखचन्द
   6/3 बाबूलाल पुत्र स्व0 लेखचन्द
   समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. बीरबल पुत्र नाथू – (मृत्तक)
   1/1 धापली पत्नि स्व0 बीरबल
   1/2 बनवारीलाल पुत्र स्व0 बीरबल
   1/3 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 बीरबल
2. गोकुल पुत्र नाथू उम्र– 53 साल
3. चन्द्रभान पुत्र हीरालाल पौत्र नाथू उम्र– 45
4. गोपाल पुत्र हीरालाल पौत्र नाथू उम्र–40
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ढ़ाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर
5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री फूलचन्द सामोता, एडवो [illegible]।
श्री झाबर सिंह भारणी, प्रतिवादीगण [illegible] 1 [illegible] अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] नं. 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:13 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तान् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोंपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1629 से 1639, 1726 से 1731 कुल किता 17 कुल रकबा 11.6700 हैक्टर भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के पिता दादा नाथू पुत्र नुन्दा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नाथू पुत्र नून्दा की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान् प्रतिवादीगण 1 ता 4 है। उक्त भूमियों में वादी संख्या 1 के पिता भूराराम का 1/8 हिस्सा रहा है तथा 1/8 हिस्सा वादीगण संख्या 2 ता 6 क पति पिता क्रमशः गुल्लाराम, सुरजा, मुरलीधर व बोदूराम का रहा है। जिस पर पूर्व में वादीगण के बुजुर्ग काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा बाद में वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। बाहमी बंटवारा के अनुसार वादी के पिता भूराराम के हक हिस्सा में भूमि खसरा नम्बर 1636 रकबा 0.78 हैक्टर व 1637 रकबा 0.75 हैक्टर आये हुए है तथा भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 0.75 हैक्टर, 1634 रकबा 0.93 हैक्टर वादीगण 2 ता 6 के पति/पितागण क्रमशः गुल्लाराम, सुरजा, मुरलीधर व बोदूराम के हक हिस्सा में आये हुएं है। जिस पर पूर्व में ये काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादीगण के बुर्जुगान के नाम भूमि की खसरा गिरदावरिया लगातार दर्ज चली आ रही है। वादीगण ने अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों को समतल व उपजाउ बनाकर विकसित कर रखी है। वादीगण के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से चाह खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.09 हैक्टर में 1/8 हिस्सा वादी संख्या 1 का है तथा 1/8 हिस्सा वादीगण 2 ता 6 का है। इसलिए वादीगण उक्त हिस्स चाह में अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण को पहले कई बार कहा परन्तु अब जमीनों की कीमत बढ़ने से इन्कार हो गये। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:13 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 6 की ओर से श्री झाबर सिंह भारणी एड0 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में उपस्थित होकर अलग–अलग राजीनामा पेश कर तस्दीक कराये है। प्रतिवादी सं. 7 के हाजिर अदालत उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 व 5 के फौत होने पर उनके वारिसान् के द्वारा अपने मृत्तक पिता के द्वारा किये गये राजीनामा को स्वीकार करते हुए वादीगण के नाम खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत स्वीकारोक्ति प्रदान की गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादी सं. 7 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने एंव समस्त पक्षकारान् के आयोजित शिविर में उपस्थित होकर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादीगण अभिभाषक के द्वारा किया गया है। दौराने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ने ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में आयोजित शिविर में वादीगण संख्या 1, 4, 6/3 व प्रतिवादी संख्या 1/1, 2 व 4 ने उपस्थित होकर प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की है। साक्ष्य वादी में भी वादी चौथू पुत्र भूराराम ने भी अपने द्वारा पेश शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है। वकुलाय उभय पक्षकारान् व उपस्थित पक्षकारान् ने वादपत्र को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2062–2065 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण के दादा नाथू पुत्र नुन्दा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। नाथू व नन्दा के वारिसान प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 है। उक्त भूमियों का बाहमी बंटवारा पक्षकारान् के मध्य हो गया है जिसके अनुसार वादी सं. 1 के पिता भूरा के खसरा नम्बर 1636 व 1637 आना तथा वादीगण सं. 2 ता 6 के पति/पिता के भूमि खसरा नम्बर 1634 व 1635 आना प्रकट होता है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2012, 2013 से 2018 व आगे 2030 तक लगातार उक्त भूमियों में प्रतिवादीगण के दादा नाथू पुत्र नोंदा का नाम शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज इन्द्राज होकर आना प्रतीत होता है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 में बोदू पुत्र मांगू, भूरा पुत्र बालू, नाथू पुत्र मांगू आदि के नाम दर्ज होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की भूमियॉ होना सिद्ध होता है। साक्ष्य में भी वादी चौथू पुत्र भूराराम ने भी अपने द्वारा पेश शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है। प्रस्तुत दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:13 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने – अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1636 रकबा 0.78 हैक्टर, 1637 रकबा 0.75 हैक्टर का बाहमी बंटवारा अनुसार वादी सं. 1 को व खसरा नम्बर 1634 रकबा 0.93 हैक्टर व 1635 रकबा 0.75 हैक्टर में 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 2 को, 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 3 को तथा 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 4 व 5 को तथा 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खातेदारी से प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के मृत्तक पिता/दादा नाथूराम पुत्र नून्दा का नाम हजफ किये जाने तथा चाह कुआं भूमि खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.09 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता/दादा मृत्तक नाथूराम पुत्र नून्दा के नाम दर्ज हिस्सा 3/4 में से 1/8 हिस्सा का वादी संख्या 1 को तथा 1/8 हिस्सा का वादी संख्या 2 ता 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा से मृत्तक नाथू पुत्र नून्दा का नाम हजफ किया जाकर शेष हिस्सा बदस्तूर रखे जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1636 रकबा 0.78 हैक्टर, 1637 रकबा 0.75 हैक्टर का बाहमी बंटवारा अनुसार वादी सं. 1 को व खसरा नम्बर 1634 रकबा 0.93 हैक्टर व 1635 रकबा 0.75 हैक्टर में 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 2 को, 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 3 को तथा 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 4 व 5 को तथा 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खातेदारी से प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के मृत्तक पिता/दादा नाथूराम पुत्र नून्दा का नाम हजफ किया जाता है। इसके साथ ही चाह कुआं भूमि खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.09 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता/दादा मृत्तक नाथूराम पुत्र नून्दा के नाम दर्ज हिस्सा 3/4 में से 1/8 हिस्सा का वादी संख्या 1 को तथा 1/8 हिस्सा का वादी संख्या 2 ता 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्सा से मृत्तक नाथू पुत्र नून्दा का नाम हजफ किया जाकर शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:13 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

हिस्सा बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

20/10/21

(दिलीप सिंह)

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्पः– कल्याणपुरा

यह निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः– कल्याणपुरा के जमे–ए–आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

20/10/21

(दिलीप सिंह)

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्पः– कल्याणपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:13 IST
Reason: SelfAttested